

अध्याय-॥
राज्य के वित्त

अध्याय - II

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का वृहद परिदृश्य तथा विगत वर्ष से सम्बंधित प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के वित्त लेखाओं तथा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण-धारणीयता तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों पर चर्चा की गई है।

2.1 प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

यह प्रभाग विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक सूचकांक का अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख राजकोषीय योगों में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ राज्य की स्व-कर-भिन्न प्राप्तियों में 19.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 54.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 4.23 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 7.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूंजीगत व्यय में 13.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 129.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 10.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 18.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 76.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियां 55.83 प्रतिशत घट गई ✓ लोक ऋण चुकौती 60.62 प्रतिशत घट गई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियां 1.70 प्रतिशत घट गई ✓ लोक लेखा संवितरण 3.67 प्रतिशत घट गया
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ✓ नकद शेष में ₹ 767 करोड़ (43.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल नहीं हैं, जिसे राज्य को अपने स्त्रोतों से नहीं चुकाना है।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

यह प्रभाग विगत वर्ष (2020-21) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उसके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना प्रस्तुत करता है।


तालिका 2.1: 2020-21 व 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में अथ नकद शेष	1,060.18	1,756.24	696.06
	राजस्व प्राप्तियां	33,438.27	37,309.30	3,871.03
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.88	7.01	4.13
	ऋण व अग्रिम की वसूली	23.02	40.72	17.70
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)*	5,608.17	4,947.69	-660.48
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	787.97	1,063.79	275.82
	योग*	40,920.49	45,124.75	4,204.26
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	33,534.93	36,194.54	2,659.61
	पूंजीगत व्यय	5,309.21	6,029.38	720.17
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	320.12	377.97	57.85
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंत नकद शेष	1,756.24	2,522.86	766.62
	योग	40,920.50	45,124.75	4,204.25

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल हैं।

2021-22 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का प्रतिशत संघटन चार्ट 2.1 व 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण आगे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।


राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का भाग होती हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, प्रक्षेपों, इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होते। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियां जो समेकित निधि का भाग बनती हैं, के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।


वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.3 में दी गई है जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट-2.4 में दिया गया है।



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण, विविध पूंजीगत प्राप्तियां एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूली शामिल हैं तथा 2020-21 व 2021-22 के दौरान भारत सरकार से वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ व ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल हैं।

चार्ट 2.4: 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन



स्त्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल है।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह परिच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों एवं इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। तत्पश्चात यह राज्य की स्वयं की प्राप्तियों एवं केंद्र सरकार की प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास

तालिका-2.2, 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों, साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्पादकता की प्रवृत्तियां दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः चार्ट-2.5 व चार्ट-2.6 में दिया गया है। विगत पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के संघटन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	27,367.06	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.20	13.09	-0.67	8.77	11.58
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	7,107.67	7,572.81	7,623.82	8,083.32	9,714.58
स्व कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.97	6.54	0.67	6.02	20.19
कर-भिन्न राजस्व (₹ करोड़ में)	2,363.85	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	37.65	19.72	-11.61	-12.53	19.37
राज्य का स्व-राजस्व (स्व कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व)	9,471.52	10,402.88	10,125.33	10,271.78	12,326.94
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (स्व कर राजस्व + कर भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	8.17	9.83	-2.67	1.44	20.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (श्रेणी 2011-12) (₹ करोड़ में)	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 ^अ	1,56,675.06 ^ब	1,75,173.31 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81
राजस्व प्राप्तियां/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.75	20.86	19.32	21.34	21.30
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.41	1.84	-0.09	-- *	0.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व कर उत्प्लावकता	0.79	1.38	-0.37	-- *	1.69


स्त्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, स - अग्रिम अनुमान


* उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋणात्मक थी।

¹ उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों के दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया के लचीलेपन अथवा डिग्री को दर्शाता है। उदाहरणस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में 0.98 राजस्व उत्प्लावकता का तात्पर्य है कि यदि सकल राज्य घरेलू में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी तो राजस्व प्राप्तियों में 0.98 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

चार्ट-2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट 2.6: 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



➤ तालिका-2.2 एवं चार्ट 2.6 से स्पष्ट है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 27,367 करोड़ (2017-18) से 36.33 प्रतिशत बढ़कर ₹ 37,309 करोड़ (2021-22) हो गई। 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर में अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ। यह 4.20 प्रतिशत (2017-18) से बढ़कर 13.09 प्रतिशत (2018-19) हो गया, परन्तु 2019-20 के दौरान घटकर -0.67 प्रतिशत हो गया। यद्यपि वर्ष 2020-21 के दौरान

राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,695.86 करोड़ (8.77 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान इसमें ₹ 3,871 करोड़ (11.58 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान, वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश में ₹ 2,595.12 करोड़ (54.59 प्रतिशत), राज्य के स्व कर राजस्व में ₹ 1,631.27 करोड़ (20.18 प्रतिशत) एवं कर-भिन्न राजस्व में ₹ 423.90 करोड़ (19.37 प्रतिशत) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। यह वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 प्रतिशत) की गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हो गई।

- वर्ष 2021-22 के दौरान करों एवं कर-भिन्न को मिला कर राज्य के स्वयं के संसाधनों से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां हुईं जबकि शेष 67 प्रतिशत, केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश (20 प्रतिशत) तथा भारत सरकार के सहायता-अनुदान (47 प्रतिशत) मिलकर केन्द्रीय अंतरणों द्वारा प्राप्त हुई। यह इस बात का परिचायक है कि राज्य की राजकोषीय स्थिति केन्द्रीय अंतरणों से प्रभावित होती है।
- राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में भारी अस्थिरता देखी गई, क्योंकि वित्त आयोग अनुदान (2017-18 में 14वें वित्तायोग का प्रभाव) एवं वस्तु व सेवा कर लागू होने (2017-18 में) जैसे बाहरी कारकों ने राजस्व के विभिन्न घटकों में वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित किया। वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता काफी हद तक ऋणात्मक रही। तथापि वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 3,871.03 करोड़) तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में धनात्मक वृद्धि दर के कारण यह धनात्मक रही।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 11.58 प्रतिशत (₹ 3,871.03 करोड़) की वृद्धि एवं राजस्व व्यय में 7.93 प्रतिशत (₹ 2,659.61 करोड़) की वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप विगत वर्ष के ₹ 96.66 करोड़ के राजस्व घाटे के सापेक्ष इस वर्ष ₹ 1,114.76 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ।


2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार का सहायता-अनुदान, केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा तथा योजनाओं हेतु प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व शामिल हैं।

(i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु व सेवा कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, वाहन, माल एवं यात्री कर, इत्यादि समाविष्ट है। 2017-22 के पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के स्व-कर राजस्व का विवरण नीचे चार्ट-2.7 में दिया गया है:

चार्ट 2.7: 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्व कर राजस्व में वृद्धि



वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहित स्व-कर राजस्व का घटक-वार विवरण आगे तालिका-2.3 में दिए गया है:

तालिका 2.3: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य वस्तु व सेवा कर	1,833.16	3,342.68	3,550.34	3,466.58	4,482.15
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,525.87	1,185.43	1,169.53	1,630.11	1,592.24
राज्य आबकारी	1,311.25	1,481.63	1,660.02	1,599.74	1,980.63
वाहन कर	367.16	408.01	465.52	380.20	510.03
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	229.18	250.55	259.58	253.36	318.60
विद्युत पर कर व शुल्क	360.79	487.08	100.86	401.76	393.51
भू-राजस्व	16.96	8.39	4.79	6.95	4.81
माल व यात्री कर	111.69	104.38	104.03	83.55	99.18
अन्य कर	351.61	304.66	309.15	261.07	333.43
कुल स्व कर राजस्व	7,107.67	7,572.81	7,623.82	8,083.32	9,714.58

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,606.91 करोड़ (36.68 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान स्व कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (46.14 प्रतिशत), राज्य आबकारी (20.39 प्रतिशत) व वाहन कर (5.25 प्रतिशत) की प्रमुख भागीदारी रही। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान, कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप

से वस्तु एवं सेवा कर (₹ 1,015.57 करोड़, 29.30 प्रतिशत), राज्य आबकारी (₹ 380.89 करोड़, 23.81 प्रतिशत) एवं वाहन कर (₹ 129.83 करोड़, 34.15 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

(ii) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां, इत्यादि सम्मिलित होती हैं।

तालिका 2.4: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज प्राप्तियां	340.54	385.88	245.36	306.43	173.95
लाभांश एवं लाभ	255.58	181.92	248.44	245.43	166.53
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	1,767.00	2,262.27	2,007.72	1,636.60	2,271.88
विविध सामान्य सेवाएं	5.46	20.76	5.17	11.41	14.06
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	180.76	214.59	238.59	196.08	257.70
वानिकी एवं वन्य जीव	46.87	76.32	83.61	49.56	106.28
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	40.45	51.34	49.65	37.05	104.90
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	441.46	221.05	246.30	252.16	230.81
विद्युत	687.61	1,134.34	1,021.68	749.12	1,183.51
अन्य	364.39	543.87	362.72	341.22	374.62
कुल कर-भिन्न राजस्व	2,363.85	2,830.07	2,501.51	2,188.46	2,612.36
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	8.64	9.14	8.14	6.54	7.00


स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.54 व 9.14 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान कर-भिन्न राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का सात प्रतिशत रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2018-19 के ₹ 2,830.07 करोड़ से 2020-21 के तक ₹ 2,188.46 करोड़ की लगातार गिरावट के पश्चात् यह 2021-22 के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 423.90 करोड़ (19.37 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 2,612.36 करोड़ हो गया। विगत पांच वर्षों में कर-भिन्न राजस्व में मुख्य भागीदारी विद्युत क्षेत्र की ही रही, जिसने 29 से 45 प्रतिशत तक की भागीदारी की। 2021-22 के दौरान वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र के तहत विद्युत की बिक्री में से हिमाचल प्रदेश सरकार के हिस्से (₹ 434.39 करोड़) एवं शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति (₹ 61.62 करोड़) से हुई प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों, स्थानीय निकायों से प्राप्त कम ब्याज के कारण ब्याज प्राप्तियों (₹ 132.48 करोड़) के तहत तथा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से प्राप्त लाभांश में कमी के कारण लाभांश व लाभ (₹ 78.90 करोड़) के तहत आंशिक रूप से समायोजित हुई।

2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण वित्तायोग की अनुशंसा पर बहुत अधिक रूप से निर्भर होते हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति चार्ट 2.8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.8: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति



(i) केन्द्रीय कर अंतरण

14वें वित्तायोग ने 2015-16 के बाद से केन्द्रीय करों के राज्यांश को 42 प्रतिशत बढ़ाने की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों की शुद्ध आय (सेवा कर को छोड़कर) में राज्यांश 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु 0.713 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 हेतु केन्द्रीय करों (सेवा कर सहित) की शुद्ध आय में 0.799 प्रतिशत व 2021-22 हेतु 0.830 प्रतिशत राज्यांश की अनुशंसा की। वर्ष 2012-13 से 2021-22 की अवधि के दौरान वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण तालिका 2.5 में नीचे दिया गया है :

तालिका 2.5: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2012-13	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय	2,362.61	2,282.02	(-) 80.59
2013-14	का 0.781 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय	2,716.72	2,491.53	(-) 225.19
2014-15	का 0.793 प्रतिशत (13वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	2,993.17	2,644.17	(-) 349.00
2015-16		3,743.71	3,611.17	(-) 132.54
2016-17		4,074.67	4,343.70	269.03

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2017-18	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय	4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19	का 0.713 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय	5,619.31	5,429.77	(-) 189.54
2019-20	का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,769.12	4,677.56	(-) 1,091.56
2020-21	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,265.60	4,753.92	(-) 1,511.68
2021-22	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,524.16	7,349.04	1824.88

स्त्रोत: 13वें वित्तायोग, 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य को प्राप्त केन्द्रीय कर अंतरणों के विवरण तालिका 2.6 में दिए गए हैं:

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरणों का संघटन

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर अंतरण के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर	68.36	1,340.15	1,327.34	1,419.55	2105.41	685.86
एकीकृत वस्तु व सेवा कर	484.84	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निगम कर	1,470.67	1,888.31	1,594.86	1,429.44	2,202.48	773.04
निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय कर	1,241.88	1,390.66	1,249.68	1,464.84	2,169.83	704.99
सीमा शुल्क	484.70	384.89	296.49	257.07	510.58	253.51
संघ आबकारी	506.50	255.78	206.16	160.44	265.82	105.38
सेवा कर	544.40	49.66	--	19.39	87.35	67.96
अन्य कर ²	(-) 0.04	13.32	3.03	3.19	7.57	4.38
केन्द्रीय कर अंतरण	4,801.31	5,429.77	4,677.56	4,753.92	7,349.04	2,595.12
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	10.54	13.09	(-) 13.85	1.63	54.59	
राजस्व प्राप्तियों से कर अंतरण का प्रतिशत	17.54	17.54	15.22	14.22	19.70	

स्त्रोत: वित्त लेखे

2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में केन्द्रीय कर अंतरण में 53.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष (2021-22) के दौरान इसमें ₹ 2,595.12 करोड़ (54.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 19.70 प्रतिशत रहा जो विगत वर्ष (14.22 प्रतिशत) से 5.48 प्रतिशत अधिक था। इसके अतिरिक्त, जैसाकि ऊपर तालिकाबद्ध किया गया है (तालिका 2.5), राज्य को 2016-17 व 2021-22 को छोड़कर 2012-13 से 2020-21 की अवधि दौरान वित्त आयोगों (13वां वित्तायोग, 14वां वित्तायोग एवं 15वां वित्तायोग) की

² सम्पत्ति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तु व सेवा कर पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित हैं।

सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों एवं शुल्कों का उसका अंश प्राप्त नहीं हुआ। 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय करों व शुल्कों का अंश ₹ 1,824.88 करोड़ अधिक था।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से आयोजना तथा आयोजनेत्तर वर्गीकरण बंद कर राज्यों को सहायता-अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य शीर्ष-1601-सहायता-अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का प्रचालन आरम्भ किया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रास्थिति तालिका 2.7 में दी गई है।

तालिका 2.7: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	3,590.26	4,010.49	4,915.06	4,221.29	5,420.75
वित्तायोग अनुदान*	8,889.00	8,831.25	8,617.82	12,424.10	11,044.26
विधानमंडल वाले राज्य/संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	615.39	2,275.93	2,406.64	1,767.19	1,168.31 [@]
योग	13,094.23	15,117.66	15,939.52	18,412.58	17,633.32
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि/ गिरावट	(-) 0.53	15.45	5.44	15.52	(-) 4.23
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	47.85	48.84	51.85	55.06	47.26

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 10,249 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 386.26 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 327.20 करोड़); राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 81.80 करोड़) शामिल है।

@ इसमें वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति के ₹ 1,167.99 करोड़ शामिल है।

वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान, वित्तायोग के तहत स्थानीय निकायों व राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को अनुदान तथा वस्तु व सेवा कर लागू करने से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति जैसे सभी घटकों के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण विगत वर्ष की तुलना में ₹ 779.26 करोड़ (4.23 प्रतिशत) घट गया। सहायता-अनुदान का 58 प्रतिशत हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के रूप में था। 2017-22 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का अंश 47 से 55 प्रतिशत के मध्य रहा।

(iii) वित्तायोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु 15वें वित्तायोग के तहत अनुदान उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान राज्य को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान के विवरण तालिका 2.8 में दिए गए हैं।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी एवं अंतरित सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15वें वित्तायोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल
1. स्थानीय निकाय	636.00	473.00	1,109.00	584.25	288.25	872.59	608.82	288.34	897.16
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	429.00	317.00	746.00	429.00	158.50	587.50	429.00	158.50	587.50
अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	214.50	126.80	341.30	214.50	63.40	277.90	214.50	63.40	277.90
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	214.50	190.20	404.70	214.50	95.10	309.60	214.50	95.10	309.60
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	207.00	156.00	363.00	155.25	129.75	285.09	179.82	129.84*	309.66
अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	103.50	62.40	165.90	103.50	31.20	134.70	127.98	31.20	159.18
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	103.50	93.60	197.10	51.75	98.55	150.39	51.84	98.64	150.48
2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि **	454.00	363.00	817.00	409.00	327.20	736.20	454.00	363.00	817.00
सकल योग (1+2)	1,090.00	836.00	1,926.00	993.25	615.45	1,608.79	1,062.82	651.34	1,714.16

स्त्रोत: 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

* अनुदान जारी करने में विलम्ब के कारण अर्जित ₹ 0.09 करोड़ का ब्याज शामिल है।

** केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश सहित

- पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 317 करोड़ की राशि के प्रति 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 158.50 करोड़ जारी किए एवं शेष ₹ 158.50 करोड़ की राशि 2022-23 के दौरान जारी की तथा इसे इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी किया।
- शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में ₹ 156.00 करोड़ की अनुशंसित राशि के प्रति 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 129.75 करोड़ (वर्ष 2021-22 में प्राप्त वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹ 51.75 करोड़) जारी किए। 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सभी राशि राज्य सरकार ने जारी की थी। 2022-23 के दौरान भारत सरकार से वर्ष 2021-22 हेतु ₹ 78 करोड़ की शेष राशि प्राप्त हुई तथा इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी भी की गई थी।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्त्रोतों (बाज़ार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) तथा

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं। विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति तालिका 2.9 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.9: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत प्राप्तियां*	2,174.87	1,784.70	4,169.72	3,917.07	2,300.21
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	34.82	8.82	2.04	2.88	7.01
ऋण व अग्रिम की वसूली	39.61	21.83	21.04	23.02	40.73
निवल लोक ऋण प्राप्तियां	2,100.44	1,754.05	4,146.64	3,891.17*	2,252.47*
आंतरिक ऋण	2,097.45	1,771.71	4,164.59	3,390.44	1,457.82
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	-54.73	-15.53	135.06	-18.59	-57.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	2.99	-17.66	-17.95	500.73*	794.65*
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम की वृद्धि दर	-89.08	-690.64	-1.64	2,889.56	58.70
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-54.93	-16.49	136.40	-6.16	-42.11
ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	152.31	-58.82	-24.70	12.22	84.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-53.63	-17.94	133.64	6.06	-41.28

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल नहीं हैं।

वर्ष 2020-21 में पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 2,300.21 करोड़) विगत वर्ष (₹ 3,917.07 करोड़) की अपेक्षा मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण के कारण ₹ 1,616.86 करोड़ तक घट गई। तथापि भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम के अंतर्गत ₹ 293.92 करोड़ की वृद्धि हुई है। लोक ऋण प्राप्तियां भविष्यगामी चुकौती देयताएं बनती हैं तथा इन्हें बाजार, वित्तीय संस्थाओं तथा केंद्र सरकार से लिया जाता है। 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों का 68.25 प्रतिशत इस अवधि के दौरान लिए गए लोक ऋण की अदायगी हेतु उपयोग किया गया एवं शेष केवल 31.75 प्रतिशत अन्य उद्देश्यार्थ उपयोग किया गया (संदर्भ तालिका 2.29)।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केन्द्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्तायोग की अनुशांसाओं के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं।

15वें वित्तायोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2020-21 में राज्य की वास्तविक स्व कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 2.10 में दी गई हैं।

तालिका 2.10: राज्य के स्वयं के संसाधन: प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
स्व कर राजस्व	9,565	9,282	9,715	1.57	4.66
कर-भिन्न राजस्व	3,684	2,754	2,612	-29.10	-5.16

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों का 1.57 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन का 4.66 प्रतिशत था। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 29.10 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन से 5.16 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार राज्य सरकार कर-भिन्न राजस्व हेतु बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों का सतत राजकोषीय सुधार / समेकन प्रक्रिया, विकास के लिए निर्देशित व्यय के मूल्य पर न हो। व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय एवं स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय।

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रति-दिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार, साथ ही परियोजना परिचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन को तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.11: कुल व्यय एवं उसके संघटक

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.26	42,601.89
राजस्व व्यय	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54
पूँजीगत व्यय	3,755.67	4,583.41	5,173.91	5,309.21	6,029.38
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	502.53	467.98	458.21	320.12	377.97
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 ^अ	1,56,675.06 ^ब	1,75,173.31 ^स
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.60	23.25	22.85	25.00	24.32
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.53	19.84	19.31	21.40	20.66
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.71	3.09	3.25	3.39	3.44
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.32	0.29	0.20	0.22


अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

पांच वर्ष की अवधि (2017-22) में कुल व्यय में ₹ 11,290.53 करोड़ (36.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 3,437.63 करोड़ (8.78 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2017-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 22.60 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के मध्य ही रहा। वर्ष 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में 33.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी दौरान पूँजीगत व्यय में 60.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसाकि चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है 2017-22 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 84.51 से 86.40 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी भांति, कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 2017-18 के 11.99 प्रतिशत से बढ़ कर 2021-22 में 14.15 प्रतिशत हो गया। संवितरित ऋण व अग्रिम का अंश 2017-18 के 1.61 प्रतिशत से 2020-21 में 0.82 प्रतिशत तक थोड़ा घटा एवं फिर 2021-22 के दौरान मामूली रूप से बढ़ कर 0.89 प्रतिशत हो गया।



गतिविधियों के संदर्भ में कुल व्यय सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं अन्य पर व्यय से मिलकर बनता है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 42,601.89 करोड़ के कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक अंश, साथ ही ₹ 4,387.28 करोड़ के लोक ऋण चुकौती के घटक (संदर्भ परिशिष्ट-2) चार्ट 2.10 में दिए गए हैं।

चार्ट 2.10: 2021-22 के दौरान व्यय के संघटक (प्रतिशत में)




2017-22 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश तालिका 2.12 में दिए गए हैं।

तालिका 2.12: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	35.77	33.82	34.48	34.79	33.54
सामाजिक सेवाएं	36.64	36.73	36.59	37.23	37.11
आर्थिक सेवाएं	25.95	28.07	27.64	27.14	28.45
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा ऋण व अग्रिम)	1.64	1.38	1.29	0.84	0.90

चार्ट-2.11 2017-18 से 2021-22 की अवधि में कुल व्यय में क्षेत्रीय घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की प्रवृत्ति दर्शाती है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं अन्य के अंश में मामूली अंतर-वर्षीय विचलन आया। सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) जो गैर-विकास व्यय का अंश है, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में 34.79 प्रतिशत से थोड़ा घट कर 2021-22 में 33.54 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय अर्थात् सामाजिक व आर्थिक दोनों सेवाओं पर व्यय 2020-21 में 64.37 प्रतिशत के प्रति 2021-22 में 65.56 प्रतिशत रहा। विगत पांच वर्षों में ऋण व अग्रिम का अंश लगभग स्थिर रहा।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछले दायित्वों हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं करता। 2017-22 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर तालिका 2.13 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.13: 2017-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.25	42,601.89
राजस्व व्यय	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.74	8.83	4.38	9.13	7.93
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	86.40	85.36	84.51	85.63	84.96
राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.53	19.84	19.31	21.40	20.66
राजस्व प्राप्तियां	27,367.06	30,950.32	30,742.41	33,438.27	37,309.30
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	98.85	95.13	99.96	100.29	97.01
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.20	13.09	-0.67	8.77	11.58
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 ^अ	1,56,675.06 ^ब	1,75,173.31 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान


2017-22 के दौरान राजस्व व्यय में चार से नौ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से ₹ 9,141.38 करोड़ (33.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में

राजस्व व्यय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। 2021-22 (₹ 36,195 करोड़) में राजस्व व्यय में 2020-21 (₹ 33,535 करोड़) की तुलना में ₹ 2,660 करोड़ (7.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जैसा कि परिच्छेद 2.4.2.1 में विवर्णित है। 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का प्रतिशत लगभग एक ही स्तर अर्थात् क्रमशः 21.30 प्रतिशत व 20.66 प्रतिशत पर रहा। 2021-22 के दौरान राज्य के पास ₹ 1,114.76 करोड़ का राजस्व अधिशेष था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.64 प्रतिशत था।

2021-22 में हुआ ₹ 36,194.54 करोड़ का राजस्व व्यय बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 38,491 करोड़) से कम तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 30,132 करोड़) से अधिक रहा। 2021-22 से सम्बंधित राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण चार्ट-2.12 में दिया गया है।

चार्ट-2.12: 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि या गिरावट के मामले तालिका 2.14 में चिह्नित किए गए हैं।

तालिका 2.14: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
सामान्य सेवाएं	13,454.24	13,899.76	445.52
2049- ब्याज भुगतान	4,472.45	4,640.79	168.34
2059- लोक निर्माण कार्य	580.59	383.50	-197.09
2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,088.39	6,398.91	310.52
सामाजिक सेवाएं	12,843.81	13,882.41	1,038.60
2202- सामान्य शिक्षा	6,228.97	6,592.01	363.04
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1,737.23	1,909.17	171.94
2211-परिवार कल्याण	457.79	668.10	210.31
2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,095.95	1,210.68	114.73
आर्थिक सेवाएं	7,227.49	8,404.66	1,177.17
2801-विद्युत	525.60	1,645.69	1,120.09
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	917.14	792.20	-124.94
2408- खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउस	267.28	350.39	83.11

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान एवं पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय में वृद्धि के कारण ₹ 445.52 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि लोक निर्माण में ₹ 197.09 करोड़ की गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा सामाजिक सेवाओं पर व्यय मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा के अंतर्गत 'समग्र शिक्षा अभियान', 'मध्याह्न भोजन' आदि, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य आदि के अंतर्गत 'राष्ट्रीय शहरी/ ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' आदि पर व्यय के कारण ₹ 1,038.60 करोड़ बढ़ गया। विगत वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में मुख्यतः विद्युत के अंतर्गत 'रेणुकाजी बांध के विस्थापितों' आदि को क्षतिपूर्ति एवं खाद्य भंडारण व वेयरहाउस के अंतर्गत 'दाल, गेहूं, चावल, चीनी, तेल व आयोडीन युक्त नमक' आदि की खरीद पर व्यय के कारण ₹ 1,177.17 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है। उच्च स्तर के प्रतिबद्ध व्यय से सरकार के पास विकास क्षेत्रों पर परिव्यय की गुंजाइश कम रह जाती है।

तालिका 2.15 2017-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है, जबकि कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत अंश चार्ट 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	10,765.83	11,210.42	11,742.23	11,903.67	12,192.52*
पेंशन पर व्यय	4,708.85	4,974.77	5,489.75	6,088.39	6,398.91
ब्याज भुगतान	3,788.22	4,021.52	4,234.02	4,472.45	4,640.79
योग	19,262.90	20,206.71	21,466.00	22,464.51	23,232.22
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	39.34	36.22	38.20	35.60	32.68
पेंशन पर व्यय	17.21	16.07	17.86	18.21	17.15
ब्याज भुगतान	13.84	12.99	13.77	13.38	12.44
योग	70.39	65.28	69.83	67.19	62.27
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	39.80	38.08	38.21	35.50	33.69
पेंशन पर व्यय	17.41	16.90	17.86	18.16	17.68
ब्याज भुगतान	14.00	13.66	13.78	13.34	12.82
योग	71.21	68.64	69.85	66.99	64.19

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

वेतन; ₹ 11,990.28 करोड़ व मजदूरी: ₹ 202.24 करोड़

चार्ट 2.13: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ₹ 767.71 करोड़ (3.42 प्रतिशत) थी। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय (65-71 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों (62-70 प्रतिशत) का एक बड़ा अंश दर्ज किया गया जिससे विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए सरकार के लिए बहुत कम गुंजाइश बची।

वेतन एवं मजदूरी: वर्ष 2021-22 में वेतन व मजदूरी पर व्यय वर्ष 2017-18 के ₹ 10,765.83 करोड़ से 13.25 प्रतिशत बढ़कर ₹ 12,192.52 करोड़ हो गया। 2021-22 के

दौरान इसमें विगत वर्ष से ₹ 288.85 करोड़ की वृद्धि हुई तथा यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 32.68 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन पर व्यय (₹ 12,192.52 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 12,704.14 करोड़) के भीतर था।

ब्याज भुगतान: वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान, वर्ष 2017-18 के ₹ 3,788.22 करोड़ से 22.51 प्रतिशत बढ़कर ₹ 4,640.79 करोड़ हो गया। विगत वर्ष से 2021-22 में वृद्धि ₹ 168.34 करोड़ (3.76 प्रतिशत) थी। ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 12.44 प्रतिशत एवं राजस्व व्यय का 12.82 प्रतिशत रहा। ब्याज भुगतान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 5,017.57 करोड़) से कम रहा।

पेंशन भुगतान: पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2017-18 के ₹ 4,708.85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 6,398.91 करोड़ एवं विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 310.52 करोड़ (5.10 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन व पेंशन भुगतान दोनों, राजस्व व्यय का 51.37 प्रतिशत थे। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 6,398.91 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (₹ 7,082 करोड़) से कम रहा।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (01 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो सीमित अंशदान पेंशन योजना है, में ₹ 1,133.19 करोड़ का कुल अंशदान हुआ (कर्मचारी अंशदान ₹ 474.41 करोड़ व सरकारी अंशदान ₹ 658.75 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.03 करोड़)। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरण संख्या 15 में उपलब्ध है। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को मुख्य शीर्ष 8342-117-सीमित अंशदान पेंशन योजना (लोक लेखा) से ₹ 1,126.55 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 470.17 करोड़ व सरकारी अंशदान ₹ 656.38 करोड़) हस्तांतरित किए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार का ₹ 5.42 करोड़ कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 8342-117-सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदान पेंशन योजना में ₹ 14.30 करोड़ की शेष राशि (₹ 7.66 करोड़ का प्रारंभिक शेष जमा करने के बाद)

अभी तक नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार ने ₹ 7.66 करोड़ के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शेष पर ₹ 0.54 करोड़ के ब्याज का न तो प्रावधान किया और न ब्याज भुगतान किया। इस प्रकार, सरकार के ₹ 5.42 करोड़ के कम अंशदान एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शेष हेतु ₹ 0.54 करोड़ के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप इस सीमा तक राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

2.4.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार विभिन्न विभागों/ संस्थाओं/ निकायों/ निगमों को सब्सिडी देती है। वर्ष 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय 2017-18 के ₹ 906.79 करोड़ से ₹ 281.20 करोड़ (31 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 1,187.99 करोड़ हो गया। 2017-22 की अवधि के दौरान सब्सिडी राशि राजस्व प्राप्तियों की 3.18 प्रतिशत से 4.15 प्रतिशत के मध्य रही, जैसाकि तालिका 2.16 में विवर्णित है।

तालिका 2.16: 2017-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	906.79	1,282.60	1,067.78	1,240.63	1,187.99
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.31	4.15	3.47	3.71	3.18
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.35	4.36	3.49	3.70	3.28

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में ₹ 52.64 करोड़ (4.24 प्रतिशत) की कमी पायी गई। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,187.99 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया, जो राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय दोनों का लगभग 3 प्रतिशत था। सब्सिडी के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे विद्युत (₹ 419.99 करोड़ या 35.35 प्रतिशत), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 314.53 करोड़ या 26.48 प्रतिशत), परिवहन (₹ 171.20 करोड़ या 14.41 प्रतिशत), कृषि (₹ 87.73 करोड़ या 7.38 प्रतिशत) तथा उद्यान (₹ 101.23 करोड़ या 8.52 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई कुल सब्सिडी मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 1,081.12 करोड़) से थोड़ी अधिक थी।

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 2.17 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.17: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	249.31	487.99	456.22	814.58	800.71
पंचायती राज संस्थाएं	781.21	1,026.07	1,053.39	1,176.07	1,148.28
कुल (क)	1,030.52	1,514.06	1,509.61	1,990.65	1,948.99
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	905.15	951.22	1,020.83	944.59	1,031.74
विकास प्राधिकरण	111.07	143.68	99.16	238.37	331.69
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	343.87	337.38	439.71	458.23	673.60
अन्य संस्थान	504.85	687.61	437.17	931.27	994.78
कुल (ख)	1,864.94	2,119.89	1,996.87	2,572.46	3,031.81
कुल (क+ख)	2,895.46	3,633.95	3,506.48	4,563.11	4,980.80
राजस्व व्यय	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93	36,194.54
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	10.70	12.34	11.41	13.61	13.76

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी


तालिका 2.17 दर्शाती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता वर्ष 2017-18 के ₹ 2,895.46 करोड़ से ₹ 2,085.34 करोड़ (72.02 प्रतिशत) बढ़ कर ₹ 4,980.80 करोड़ हो गई, जो वर्ष के दौरान राजस्व व्यय का 13.76 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सहायता की कुल प्रमात्रा में ₹ 417.69 करोड़ (9.15 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई। वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों (नगर निगम व नगर पालिकाएं एवं पंचायती राज संस्थाएं) के मामले को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता विगत वर्ष से अधिक थी। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्राप्तकर्ताओं में से नगर निगम, नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं (स्थानीय निकाय) दोनों ने कुल वित्तीय सहायता का 39.13 प्रतिशत दर्ज किया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को प्रदत्त सहायता में ₹ 41.66 करोड़ (दो प्रतिशत) की गिरावट हुई जबकि अन्य निकायों को दी सहायता में ₹ 459.35 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण पर हुआ व्यय है। 2017-22 की अवधि में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दी गई है।

चार्ट 2.14: 2017-22 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2017-22 के दौरान इसमें ₹ 2,273.71 करोड़ (60.54 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 6,029.38 करोड़) विगत वर्ष 2020-21 (₹ 5,309.22 करोड़) से ₹ 720.16 करोड़ (13.56 प्रतिशत) बढ़ गया। विगत वर्ष (13.56 प्रतिशत) की तुलना में चालू वर्ष में यह कुल व्यय का 14.15 प्रतिशत था।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका 2.18 विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा गिरावट को चिह्नित करती है।

तालिका 2.18: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय के विचलन

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
पूंजीगत व्यय	5,309.22	6,029.38	720.16
सामान्य सेवाएं	169.54	389.63	220.09
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	115.69	274.33	158.64
सामाजिक सेवाएं	1,736.19	1,925.31	189.12
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	355.54	488.72	133.18
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	29.06	61.48	32.42
आर्थिक सेवाएं	3,403.49	3,714.44	310.95
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	147.17	330.51	183.34
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	85.99	205.93	119.94
5002- भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय-	100.00	213.00	113.00
4851- ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	17.27	122.73	105.46
5054- सड़कों व पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	2,315.55	2,162.98	-152.57

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 720.16 करोड़ की वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से लोक निर्माण कार्य (सामान्य सेवाओं), शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (सामाजिक सेवाओं) के अंतर्गत विद्यालय भवनों आदि के निर्माण, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना, 'स्थानीय जिला नियोजन विकास में जन सहयोग' आदि, परिवहन के अंतर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश, 'बस स्टैंड निर्माण' आदि में, ग्राम एवं लघु उद्योग (आर्थिक सेवा) के अन्तर्गत भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाईनों के निर्माण एवं 'औद्योगिक क्षेत्र/ संपदा के विकास', भवनों/ केन्द्रों आदि के निर्माण पर बढ़े हुए व्यय के कारण था। यह सड़कों व पुलों पर व्यय में कमी से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

(i) निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2022 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं सहकारिताओं में ₹ 4,913 करोड़ का निवेश किया (तालिका 2.19)। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 5.31 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2017-22 के दौरान सरकार ने उसके उधारों पर 7.84 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया। एक कंपनी (सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने कुल प्रतिफल में 98 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की।

तालिका 2.19: निवेशों का विवरण एवं निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,532.97	3,848.83	4,261.06	4,562.40	4,913.00
प्रतिफल (₹ करोड़)	255.58	181.91	248.44	245.43	166.53
प्रतिफल (प्रतिशत)	7.23	4.73	5.83	5.38	3.39
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.41	8.32	7.98	7.44	7.03
ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	1.18	3.59	2.15	2.06	3.64
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण सांकेतिक हानि (₹ करोड़ में) #	41.69	138.17	91.61	93.99	178.83

स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष की समाप्ति पर निवेश X ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर

₹ 4,913 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 4,337.21 करोड़ का निवेश (88.28 प्रतिशत) पांच³ कंपनियों में किया गया था।

³ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम लिमिटेड (₹ 414.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 935.86 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 844.64 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 1,044.07 करोड़)

इस प्रतिवेदन के अध्याय-V में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात्- सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन/प्रास्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी बुनियादी ढांचे के विकास की मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई तथा किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक साझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। 31 मार्च 2022 तक पूर्ण, प्रक्रियाधीन तथा योजनाबद्ध सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं तालिका 2.20 में दी गई हैं:

तालिका 2.20: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	शहरी अवसंरचना	9	151.00	15	1,213	05	0
2.	ऊर्जा	33	13,851.98	11	1,575.38	49	5,278.57
3.	सामाजिक	04	115.00	00	0	00	00
4.	पर्यटन	03	201.57	03	723.43	01	278.46
5.	अन्य	00	00	01	13	00	00
योग		49	14,319.55	30	3,524.81	55	5,557.03

(iii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं को पूरा करने के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती हैं। वर्ष 2021-22 के राज्य के वित्त लेखाओं के परिशिष्ट-IX के अनुसार 31 मार्च 2022 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई विभागों में 74 अपूर्ण/प्रक्रियाधीन परियोजनाएं (कुछ मण्डलों द्वारा आपूरित जानकारी के अनुसार) थीं। 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु रूपरेखा एवं विभाग-वार रूपरेखा तालिका-2.21 व तालिका 2.22 में दी गई है।

तालिका 2.21: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की आयु रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/ संशोधित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)
1995	1	8.52	5.07
1996	1	5.62	9.40

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/ संशोधित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)
1998	1	4.55	26.81
2000	1	8.76	6.39
2003	1	9.28	25.03
2004	1	51.46	71.51
2005	1	5.45	10.14
2007	2	12.96	17.7
2008	1	2.15	0.71
2009	1	6.09	6.23
2011	3	67.88	66.38
2012	2	129.70	61.98
2013	7	90.32	71.26
2014	4	295.88	284.58
2015	14	68.55	37.96
2016	10	189.1	153.14
2017	9	94.92	40.65
2018	12	76.78	69.28
2019	2	6.99	3.69
योग	74	1,135.00	967.92

स्त्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.22: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य (जल शक्ति)	39	871.75	802.04
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	35	263.25	165.88
योग	74	1,135.00	967.92

स्त्रोत: वित्त लेखे

इन परियोजनाओं को समय बीतने के कारण लागत वृद्धि से बचने के लिए एवं विलंब किए बिना पूर्ण करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

2.4.3.2 राज्य सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी सोसायटियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। तालिका 2.23, 2017-18 से 2021-22

की पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों सहित 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण व अग्रिमों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.23: 2017-22 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण का अथ शेष*	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49	7,687.59
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	502.53	467.98	458.21	320.12	377.97
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	39.62	21.83	21.03	23.02	40.73
बकाया ऋण का अंत शेष*	6,507.18	6,953.33	7,390.49	7,687.59	8,024.83
निवल योग	462.91	446.15	437.17	297.09	337.24
प्राप्त ब्याज	255.59	272.15	135.11	248.98	97.72
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर	4.23	4.18	1.94	3.37	1.24
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	8.02	7.88	7.80	7.19	6.52
चुकाए गए ब्याज की दर एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	3.79	3.70	5.86	3.82	5.28

स्त्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 के बाद से, उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अथ व अंत शेष में शामिल है।

31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण व अग्रिम की कुल राशि ₹ 8,024.83 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न संस्थाओं को ₹ 377.97 करोड़ की अग्रिम राशि दी गई, जिसमें से आर्थिक सेवाओं के तहत प्रमुख प्राप्तकर्ता ₹ 370.40 करोड़ (98 प्रतिशत) के साथ विद्युत क्षेत्र था।

चालू वर्ष (2021-22) में वसूली की गई ₹ 40.73 करोड़ की राशि 2017-18 के बाद विगत पांच वर्षों में ऋण व अग्रिम की वसूली की उच्चतम प्रमात्रा थी। इसका कारण मुख्य रूप से सहकारिता विभाग (₹ 34.88 करोड़) द्वारा ऋण व अग्रिम की चुकौती रहा। उदय हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ब्याज की किस्त प्राप्त न होने से 2019-20 में हुई भारी गिरावट को छोड़कर विगत पांच वर्षों (2017-22) के दौरान ऋण व अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियां लगभग स्थिर रहीं। ऋण व अग्रिमों की कमजोर वसूली राज्य सरकार द्वारा वसूली तंत्र की समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

कुल बकाया ऋणों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विगत पांच वर्षों (मार्च 2022 तक) में विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योग व खनिज के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों ने ऋणों की चुकौती नहीं की थी तथा फिर भी उन्हें अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए। इस प्रकार, पिछले कुछ वर्षों में समग्र बकाया राशि में वृद्धि हुई है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका-2.24 2017-18 को आधार वर्ष लेते हुए 2021-22 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय तथा पूंजीगत व्यय के संदर्भ में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका-2.24: 2017-18 एवं 2021-22 में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)


राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	विकासात्मक व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
2017-18 में औसत (अनुपात)							
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य	26.07	34.98	29.17	64.15	16.10	17.56	6.22
हिमाचल प्रदेश	22.60	36.66	27.52	64.18	11.99	19.30	6.41
2021-22 में औसत (अनुपात)							
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य	27.56	35.55	27.01	62.56	17.46	15.95	7.25
हिमाचल प्रदेश	24.32	37.11	29.33	66.43	14.15	16.90	6.74

- जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2017-18 में उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश के कुल व्यय से विकास व्यय का अनुपात लगभग समान है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह उच्च स्तर पर है।
- वर्ष 2017-18 व 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश के पूंजीगत व्यय का अनुपात उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों से नीचे रहा।
- 2017-18 व 2021-22 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में कम रहा।
- वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय से शिक्षा का अनुपात उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में अधिक रहा, जबकि स्वास्थ्य से कुल व्यय का अनुपात उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों की तुलना में कम रहा।

2.4.5 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय वस्तु/ व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। **चार्ट-2.15** में वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.15: वस्तु शीर्ष-वार व्यय (प्रतिशत में)



2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2022 की समाप्ति पर राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.25 में दिए गए हैं।

तालिका 2.25: 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

विभाग	उप विभाग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
I.- लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28
	कुल (I)	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28
J.- आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	8.48	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	316.54	316.60	834.66	834.66	316.00
	कुल (J):	325.02	317.60	2,722.31	2,717.20	1,973.90
K.- निक्षेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निक्षेप	-0.89	-1.41	-1.64	7.66	14.30
	(ख) ब्याज रहित निक्षेप	2,799.09	3,208.52	3,382.45	3,454.50	3,412.87
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.53	-0.51	-0.51	-0.51
	कुल (K):	2,797.67	3,206.58	3,380.30	3,461.65	3,426.66
L.- उचंत एवं विविध	(क) उचंत	73.04	74.12	-1,330.44	-1,539.83	-292.98
	(ख) अन्य लेखे	-723.54	-101.91	-982.25	-1,696.28	-2,568.27
	(ग) विदेशी सरकारों के लेखे	0	0	0	0	0

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

विभाग	उप विभाग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	(घ) विविध	0	0	0	0	0
	कुल (L):	-650.50	-27.79	-2,312.69	-3,236.11	-2,861.25
M.-प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	398.45	509.19	612.45	546.02	653.51
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखे	-1.21	0.31	-6.16	-4.11	-0.01
	कुल (M):	397.24	509.50	606.29	541.91	653.50
सकल योग		16,105.81	18,355.42	19,933.34	20,007.29	20,199.09


स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: -(ऋणात्मक) डेबिट शेष को दर्शाता है तथा +(धनात्मक) क्रेडिट शेष को दर्शाता है

2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष राशि के संगठन में आए वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दिए गए हैं।

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेष के संगठन में आया वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका 2.25 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान लोक लेखा शेष में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान यह 2017-18 के ₹ 16,105.81 करोड़ से ₹ 4,093.28 करोड़ बढ़कर ₹ 20,199.09 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021-22 में लोक लेखा के तहत अंत शेष वर्ष 2020-21 के ₹ 20,007.29 करोड़ से ₹ 191.80 करोड़ (क्रेडिट) (0.96 प्रतिशत) थोड़ा बढ़ कर ₹ 20,199.09 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान हुई मामूली वृद्धि मुख्यतः लघु बचत (₹ 483.64 करोड़), निक्षेप (₹ 111.59 करोड़) तथा उचंत व विविध (₹ 374.86 करोड़) के तहत डेबिट शेष में परिवर्तन के कारण हुई, जो आरक्षित निधियों (₹ 743.30 करोड़) एवं निक्षेप व अग्रिम (₹ 34.99 करोड़) के शीर्षों के तहत क्रेडिट शेष में गिरावट से समायोजित हो गई।

2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की **विवरणी 21 व 22** में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पांच आरक्षित निधियां (दो ब्याज सहित आरक्षित निधियां एवं तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां) निर्धारित की गई थीं। यदि ब्याज रहित आरक्षित निधियों में निवेश नहीं किया गया हो तो इन ब्याज सहित आरक्षित निधियों के शेष पर ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है तथा इन शेषों को भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर के केन्द्रीय लेखा विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति/कोषागार बिल में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2022 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि (सब्याज एवं ब्याज रहित) **तालिका 2.26** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.26: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2022 तक बकाया शेष
क	सब्याज आरक्षित निधियां	1,657.90
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	49.79
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1,608.11
ख	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	316.00
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	315.52
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	0.32
	सकल योग	1,973.90

स्त्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त में से ब्याज रहित दो आरक्षित निधियां यथा औद्योगिक विकास एवं विद्युत विकास कम से कम चार वर्षों से परिचालन में नहीं थीं। राज्य सरकार को इन अपरिचालित आरक्षित निधियों को बंद करके शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित करना शेष है।

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तों में राज्य सरकारों से बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित है। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाते हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था।

उपरोक्त निर्देशानुसार वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक राज्य सरकार को 31 मार्च 2021 तक की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत अंशदान करना था। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 67,164.75 करोड़ थीं। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार को इस निधि में न्यूनतम ₹ 335.82 करोड़ राशि (₹ 67,164.75 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान अपेक्षित होता।

हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया। फलस्वरूप, इसकी स्थापना के बाद से निधि के प्रति राज्य सरकार की देयता ₹ 335.82 करोड़ रही।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से तत्कालीन आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में परिवर्तित कर दिया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार (सितंबर 2010, जुलाई 2015 व जनवरी 2022) इस निधि में केंद्र एवं राज्य सरकारें 90:10 के अनुपात में अंशदान कर रही थीं। इस अंशदान को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-2245 को संचालित कर व्यय किया गया।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलामी किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य ब्याज सहित निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए, आपदा की तैयारी, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं शमन के प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्ष/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल करना होगा।

1 अप्रैल 2021 तक ₹ 233.81 करोड़ की राशि वित्त लेखे के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में थी। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में मुख्य शीर्ष 8121-122 के तहत ₹ 363.00 करोड़ (केन्द्रीय अंश: ₹ 327.20 करोड़, राज्यांश: ₹ 35.80 करोड़) हस्तांतरित किए गए। चालू वर्ष के दौरान ₹ 596.81 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 547.02 करोड़ का संवितरण/उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में ₹ 49.79 करोड़ शेष रहा। 31 मार्च 2022 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में ₹ 49.79 करोड़ की सम्पूर्ण शेष राशि बिना निवेश के थी, जो भारत सरकार के उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

31 मार्च 2021 तक की ₹ 7.88 करोड़ की शेष राशि को भी राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत राज्य सरकार ने निवेश नहीं किया। यदि इस शेष राशि का निवेश किया जाता तो ₹ 0.47 करोड़ का ब्याज अर्जित होता, जो इस सीमा तक राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण तालिका 2.27 में दिया गया है।

तालिका 2.27: वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	व्यय
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि।	101-मुफ्त राहत	114.96
	102-पेयजल आपूर्ति	3.33
	104-चारे की आपूर्ति	1.11
	106-क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	376.18
	109-क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्यों की मरम्मत और बहाली	204.50
	111-शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	165.81
	113-आवासों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	19.77
	1193-स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	124.70
	कुल	1,010.36
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौतीs - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	(-) 1,065.68
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय		950.72

स्त्रोत: वित्त लेखे

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार केवल 2245-02-101 के तहत दर्ज की गई राशि ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से व्यय करने हेतु स्वीकार्य है। अतएव राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिले ₹ 1,065.68 करोड़ में से ₹ 950.72 करोड़ का व्यय दिशानिर्देशों के विपरीत था। यह वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकतम ₹ 950.72 करोड़ के राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ जिससे राज्य का राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाया गया था। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

2.5.2.4 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

क्षतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियां एवं इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित अथवा वहां घटित आकस्मिक मामलों के लिए संग्रहित धन के उपयोग एवं प्राप्त राशि के प्रबंधन हेतु राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष का सर्जन आवश्यक है। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को न तो उपयोगकर्ता एजेंसियों से और न ही राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण निक्षेप से कोई राशि प्राप्त हुई। 2021-22 के दौरान ₹ 1,702.88 करोड़ (अथशेष: ₹ 1,648.73 करोड़ + वर्ष के दौरान जमा ब्याज: ₹ 54.15 करोड़) के बढ़ते शेष में से मात्र ₹ 94.77 करोड़ संवितरित किए गए तथा 2021-22 की समाप्ति पर इस शीर्ष के तहत ₹ 1,608.11 करोड़ अव्ययित रहे। यह राशि शीर्ष-8121-129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष के तहत दर्ज की गई है।

2.5.3 उचंत एवं विविध


वर्ष 2021-22 के दौरान सह-वाउचर, स्वीकृति आदेश एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ₹ 78.74 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 74.28 करोड़ व पूंजीगत व्यय ₹ 4.46 करोड़) की राशि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की बहियों में उचंत लेखा में रखी गई है। इस प्रकार उक्त राशि को वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध वित्त लेखे में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय तथा विनियोग लेखे में वास्तविक व्यय के रूप में शामिल नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान आपत्ति किए गए तथा वस्तु उचंत में रखे गए ₹ 1,601.42 करोड़ (2019-20: ₹ 1,373.77 करोड़ व 2020-21: ₹ 227.65 करोड़) के वस्तु उचंत में से ₹ 1,190.78 करोड़ राशि (2019-20: ₹ 1,183.76 करोड़ व 2020-21: ₹ 7.02 करोड़) को वर्ष 2021-22 के दौरान अनापत्ति दे दी गई।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि हेतु समग्र ऋण की वर्ष-वार प्रास्थिति चार्ट 2.17 में नीचे दी गई है:



* कुल बकाया ऋण/देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात की गणना वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर की गई है।

2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनता है। वर्ष 2021-22 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की

गई हैं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की पांच वर्ष की अवधि में राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां तालिका 2.28 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.28: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
	31 मार्च 2022 तक समय बकाया ऋण (1+2)	51,030.51	54,299.19	62,211.84	67,164.75*	69,122.58*	
1.	लोक ऋण	(क) आंतरिक ऋण	33,591.47	35,363.18	39,527.77	42,918.21	44,376.03
		(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,079.43	1,061.77	1,043.81	1,544.54*	2,339.19*
2.	लोक लेखा देयताएं	16,359.61	17,874.24	21,640.26	22,702.00	22,407.36	
	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64	17,006.28	
	सब्याज आरक्षित निधियां	8.48	1.00	1,887.65	1,882.54	1,657.90	
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	316.54	316.60	834.66	834.66	316.00	
	सब्याज निक्षेप	-0.88	-1.41	-1.63	7.66	14.30	
	ब्याज रहित निक्षेप	2,799.09	3,208.52	3,382.45	3454.50	3,412.88	
3.	समय बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.01	6.41	14.57	7.96	2.91	
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 ^अ	1,56,675.06 ^ब	1,75,173.31 ^स	
5.	समय ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	36.83	36.59	39.09	42.87*	39.46*	
6.	लोक ऋण प्राप्तियां **	5,600.29	6,427.41	10,847.39	15,032.21**	6,639.75**	
7.	लोक ऋण चुकौतियां	3,499.85	4,673.34	6,700.75	11,141.05	4,387.28	
8.	उपलब्ध लोक ऋण (6-7)	2,100.44	1,754.07	4,146.64	3,891.16	2,252.47	
9.	लोक ऋण चुकौतियां / प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/8)	62.49	72.71	61.77	74.11	66.08	
10.	निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,686.04	1,514.64	2,457.90	787.97	- 294.64	
11.	कुल उपलब्ध ऋण (8+10)	3,786.48	3,268.71	6,604.54	4,679.13	1,957.83	

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे


* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

** वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को छोड़ कर।

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

चार्ट 2.18: 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)




* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

राज्य का कुल बकाया ऋण/देयताएं 2017-18 के ₹ 51,030.51 करोड़ से ₹ 18,092.07 करोड़ बढ़कर ₹ 69,122.58 करोड़ (2020-22) (₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर) हो गई क्योंकि वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक प्राप्त ऋण से 35.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से आंतरिक ऋण (₹ 10,784.56 करोड़), ऋण व अग्रिम (₹ 1,259.76 करोड़) एवं लोक लेखा देयताओं (₹ 6,047.75 करोड़) में वृद्धि था। विगत वर्ष के 7.96 प्रतिशत की तुलना में समग्र बकाया ऋण/देयताएं 2021-22 में 2.91 प्रतिशत बढ़ गई। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2017-18 के 36.83 प्रतिशत से बढ़कर 42.87 प्रतिशत हो गया यद्यपि 2021-22 में यह घट कर 39.46 प्रतिशत हो गया। देयताएं राजस्व प्राप्तियों की 1.85 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों की 5.61 गुना थीं। वास्तविक बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, जो 39.46 प्रतिशत था, 15वें वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य (38.3 प्रतिशत) से अधिक एवं बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (40.26 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य से थोड़ा कम था। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य की लोक लेखा देयताओं में ₹ 6,047 करोड़ (36.96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। प्रमुख वृद्धि 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि' (₹ 3,770 करोड़: 28.48 प्रतिशत), 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' (₹ 1,649 करोड़: 19,451 प्रतिशत - 2019-20 के दौरान यह वृद्धि राज्य क्षतिपूर्क वनीकरण कोष के तहत प्राप्त (₹1,661 करोड़) के कारण हुई) एवं 'ब्याज रहित निक्षेप (₹ 614 करोड़: 21.93 प्रतिशत) के तहत हुई।

विगत पांच वर्ष (2017-22) के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल बकाया ऋण का प्रतिशत 36 से 43 प्रतिशत के मध्य ही रहा। लगभग 62 प्रतिशत से 74 प्रतिशत ऋण प्राप्तियों का उपयोग 2017-18 से 2021-22 की अवधि में पिछले दायित्वों की चुकौती हेतु किया गया।

चार्ट 2.19: लिए गए एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020-21 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण 2017-18 के ₹ 5,518 करोड़ से ₹ 8,919 करोड़ बढ़ कर ₹ 14,437 करोड़ हो गया परन्तु बाज़ार उधार (33 प्रतिशत) एवं भारतीय रिजर्व बैंक से लिए अर्थोपाय अग्रिम (87 प्रतिशत) में मुख्य रूप से हुई गिरावट के कारण वर्ष 2021-22 में ₹ 8,690 करोड़ तेजी से घट कर ₹ 5,747 करोड़ हो गया।

बाजारी उधार राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का बड़ा हिस्सा है, जिसकी ब्याज दरें 6.29 से 9.75 प्रतिशत के मध्य हैं। 2021-22 में ₹ 5,747 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से बाजार उधार ₹ 4,000 करोड़ थे। ₹ 4,290 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण चुकौती में से बाजार ऋणों की चुकौती ₹ 2,125 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 तक ₹ 33,772.16 करोड़ के बकाया बाजार उधार थे। राज्य सरकार को न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखने के लिए 16 अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,043.49 करोड़) लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुकाया गया।

राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) तालिका 2.29 में परिलक्षित होता है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान वित्तीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखा सहित ऋण प्रवृत्तियों को चार्ट 2.20 में चिहनांकित किया गया है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटे के संघटक	3,869.87	3,512.54	5,597.06	5,700.09	5,244.85
क राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	313.90	1,508.21	11.98	-96.66	1,114.76
ख निवल पूंजीगत व्यय	-3,720.85	-4,574.59	-5,171.87	-5,306.33	-6,022.37
ग निवल ऋण व अग्रिम	-462.92	-446.16	-437.17	-297.10	-337.24
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न*					
1 बाजारी उधार	2,550.99	2,108.10	4,460.00	3,755.00	1,874.99
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	3.00	-17.65	-17.95	2,217.73*	3,489.87*
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	-514.71	-538.25	-569.10	-569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	61.16	201.86	273.69	204.54	151.92
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,391.97	1,113.14	1,187.60	985.51	483.65
6 निक्षेप एवं अग्रिम	188.63	408.91	173.71	81.35	-34.99
7 उर्ध्व व विविध	-118.76	1.08	-1,404.92	-209.39	1,246.84
8 प्रेषण	69.02	112.25	96.80	-64.38	111.59
9 आरक्षित निधियां	105.45	-7.43	2,404.71	-5.11	-743.30
10 समग्र घाटा	3,736.75	3,382.01	6,604.54	6,396.15	6,011.47
11 नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	133.12	130.53	-1,007.48	-696.06	-766.62
12 सकल राजकोषीय घाटा	3,869.87	3,512.54	5,597.06	5,700.09	5,244.85


स्त्रोत: वित्त लेखे

ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/ जारी किए गए का निवल हैं।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल हैं।

चार्ट 2.20: 2017-22 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2021-22 में ₹ 5,244.85 करोड़ के राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण, लघु बचत आदि शामिल थे, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जैसाकि तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	3,999.99	2,125	1,874.99
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	3,587.50*	97.63	3,489.87
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	703.98	552.06	151.92
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,562.18	3,078.53	483.65
6 निक्षेप एवं अग्रिम	3,566.07	3,601.06	-34.99
7 उचंत व विविध	1,063.49	-183.35	1,246.84
8 प्रेषण	6,573.89	6,462.30	111.59
9 आरक्षित निधियां	417.15	1,160.45	-743.30
10 समग्र घाटा	23,474.25	17,462.78	6,011.47
11 नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	1,756.24	2,522.86	-766.62
12 सकल राजकोषीय घाटा	25,230.49	19,985.64	5,244.85

स्त्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल है।

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है।

लोक ऋण

राज्य के बकाया लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.31 एवं चार्ट 2.21 में दी गई है।


तालिका 2.31: लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (कुल लोक ऋण के संदर्भ में)
	लोक ऋण (मूल)	ब्याज #	कुल लोक ऋण (मूल + ब्याज)	
0-1	3,346.62	3,605.66	6,952.28	10.13
1-3	7,451.70	6,398.97	13,850.67	20.18
3-5	8,666.29	5,159.85	13,826.14	20.15
5-7	8,019.94	3,775.10	11,795.04	17.19
7-10	11,203.77	3,257.80	14,461.57	21.07
10 से अधिक	6,608.94	1,134.98	7,743.92	11.28
योग	45,297.26*	23,332.36	68,629.62*	100.00

स्त्रोत: वित्त लेखे

* इस राशि में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से 2020-21 व 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़, ₹ 1,417.90 करोड़ (₹ 1,333 करोड़ (केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण), ₹ 0.13 करोड़ (1984-85 से पहले के ऋण), ₹ 84.77 करोड़ व ₹ 5.80 लाख जिनकी परिपक्वता अनिश्चित है) को शामिल नहीं किया गया।


7.96 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकल्पित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों हेतु ब्याज दरों का औसत जैसा कि तालिका 2.32 में पृष्ठ 63 पर दिया गया है)।



उपरोक्त से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक ब्याज सहित ₹ 68,630 करोड़ (मूलधन: ₹ 45,297 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 23,333 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 10 प्रतिशत (₹ 6,952 करोड़) अगले एक वर्ष में चुकाने योग्य है, 40 प्रतिशत (₹ 27,677 करोड़) अगले दो से पांच वर्षों में (2026-27 तक) चुकाने योग्य है जबकि शेष 50 प्रतिशत (₹ 34,001 करोड़) पांच वर्ष के पश्चात् चुकाने होंगे। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण अदायगी पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,926 करोड़ होगा जबकि वर्ष के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,766 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर) होगी, जो ऋण देयताओं को पूरा नहीं कर पाएंगी।

आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2031-32 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी (ब्याज सहित) समय-सारणी चार्ट 2.22 में दी गई है।

चार्ट 2.22: आगामी 10 वर्षों अर्थात् 2031-32 के दौरान बकाया लोक ऋण की वर्ष-वार अदायगी (ब्याज सहित) समय-सारणी (₹ करोड़ में)



स्त्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 7.96 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकल्पित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों हेतु ब्याज दरों का औसत जैसा कि तालिका 2.32 में पृष्ठ 63 पर दिया गया है)।

उपरोक्त चार्ट 2.22 से स्पष्ट है कि 2031-32 तक औसतन राज्य को ₹ 6,089 करोड़ (2021-22 के अंत में बकाया ऋण के संबंध में अनुमानित ब्याज सहित) का वार्षिक लोक ऋण


चुकाना होगा। वर्ष 2021-22 के अंत में बकाया ऋण के अतिरिक्त राज्य को संसाधन अंतराल को भरने के लिए हर वर्ष और उधारों का सहारा लेना होगा। विगत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2031-32 तक अनुमानित बकाया लोक ऋण स्टॉक (कुल) (मूलधन+ब्याज) बढ़कर लगभग ₹ 1,11,717 करोड़ हो जाएगा, जैसाकि **परिशिष्ट 2.3 (क)** में दर्शाया गया है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय की पिछली प्रवृत्तियां दर्शाती है कि 2022-23 से 2031-32 के दौरान राजस्व अधिशेष होगा जैसाकि **परिशिष्ट 2.3 (ख)** में दर्शाया गया है। परन्तु तथ्य यह है कि राज्य सरकार ने अभी तक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया है तथा 2021-22 से बढ़े हुए वेतन व अन्य लाभों के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त उदय योजना के तहत ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण को अनुदान (₹ 2,167.50 करोड़) एवं इक्विटी (₹ 723.00 करोड़) में परिवर्तित नहीं किया गया, जोकि राज्य सरकार द्वारा अब तक (मार्च 2022) करना अपेक्षित था। उपरोक्त सभी कारकों को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी क्योंकि राजस्व व्यय में वृद्धि जारी रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष काफी हद तक राजस्व घाटे में बदल जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारकों जैसे लोक लेखा देयताओं एवं अप्रत्याशित घटनाओं⁴ और/या राजस्व के किसी अन्य अप्रत्याशित नुकसान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बाजारी उधार/ऋण

बकाया बाजारी ऋण एवं उस पर आगामी दस वर्षों में चुकाए जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण **चार्ट 2.23** में दिया गया है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋणों की अदायगी समय-सारणी



स्त्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 31 मार्च 2022 तक बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है एवं ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।

⁴ \$- जैसे कोविड-19 महामारी एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर इसका प्रभाव।

ब्याज सहित ₹ 51,640 करोड़ के कुल बकाया बाज़ार ऋणों में से (मूलधन: ₹ 33,772 करोड़ व ब्याज: ₹ 17,868 करोड़) राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2024-25 तक बाजार ऋणों पर ₹ 5,647 करोड़ मूलधन एवं ₹ 7,222 करोड़ ब्याज चुकाना होगा। 2026-27 तक आगामी दो वर्षों में ₹ 4,205 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 3,888 करोड़ का ब्याज देय होगा। 2026-27 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 4,192 करोड़ रुपये होगा। वर्ष के दौरान ब्याज सहित ऋणों की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 4,604 करोड़ है।

वर्ष 2027-28 से 2031-32 के दौरान ₹ 17,720 करोड़ का बाज़ार ऋण एवं ₹ 5,761 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऐसे में राज्य को इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 4,696 करोड़ की अदायगी वार्षिक रूप से करनी होगी।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता का निर्धारण करने वाले तथा भविष्य में राज्य के ऋण दायित्वों को चुकाने में उसकी क्षमता का संकेत देने वाले विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह प्रभाग बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति, ऋण भुगतान व ऋण प्राप्ति के अनुपात; राज्य के पास उपलब्ध कुल ऋण के सन्दर्भों में सरकार के ऋण की धारणीयता का आंकलन प्रस्तुत करता है। **तालिका 2.32**, 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि में इन सूचकांकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.32: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता सूचकांक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	34,670.90	36,424.95	40,571.59	44,462.75 [§]	46,715.22 [§]
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.45	5.06	11.39	9.59	5.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,38,551.09	1,48,383.27	1,59,161.70 ^अ	1,56,675.06 ^ब	1,75,173.31 ^घ
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.28	7.10	7.26	-1.56	11.81
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	25.02	24.55	25.49	28.38	26.67
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,828.71	2,958.20	3,070.99	3,227.58	3,422.38
बकाया लोक ऋण के औसत ब्याज दर (अदा ब्याज/लोक	8.41	8.32	7.97	7.59	7.51

ऋण धारणीयता सूचकांक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)					
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	10.34	9.56	9.99	9.65	9.17
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण अदायगी का प्रतिशत	62.50	72.71	61.77	74.12	66.07
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण [#] (₹ करोड़ में)	-729	-1,204	1,076	664	-1,169
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत रूप में उपलब्ध निवल ऋण	-13.02	-18.73	9.91	4.42	-17.61
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार [@] + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	565.10	65.62	-1,651.06	-5,296.34	1,404.175

स्त्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

* बकाया लोक ऋण, केंद्र सरकार से शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण व अग्रिम के तहत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

अ- द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान


राज्य को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति आधिक्य के रूप में की जाती है।

@ मात्रा विस्तार = ऋण स्टॉक x ब्याज विस्तार; ब्याज विस्तार = सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - औसत ब्याज दर

ऋण धारणीयता की आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होने की संभावना होगी बशर्ते प्राथमिक शेष शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार यदि प्राथमिक घाटा एवं परिमाण विस्तार दोनों ऋणात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः बढ़ जाएगा तथा यदि यह धनात्मक है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घट जाएगा।

2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लोक ऋण का अनुपात 24.55 से 28.38 प्रतिशत था। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में कमी मुख्य रूप से बकाया लोक ऋण की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि होने के कारण हुई। 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि में ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति चार्ट 2.24 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.24: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति



वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण ₹ 34,671 करोड़ से 34.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 46,715 करोड़ बढ़ गया (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ अर्थात् 2020-21 के दौरान ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ को छोड़कर)। उल्लेखनीय ढंग से जब इस अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संयुक्त वार्षिक वृद्धि की 4.80 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई बकाया लोक ऋण में 6.14 प्रतिशत की तीव्र दर से वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों का 9.17 प्रतिशत से 10.34 प्रतिशत था तथा ऋण प्राप्तियों का 61.78 से 74.12 प्रतिशत मौजूदा देयताओं के निर्वहन हेतु उपयोग किया गया।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सर्जन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों का वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका 2.33 एवं चार्ट 2.25 में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका 2.33: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष	1	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल उधार	2	5,600.29	6,427.40	10,847.39	15,032.21 ^{\$}	6,639.75 ^{\$}
पिछले उधारों की अदायगी (मूलधन)	3	3,499.85 (62.49)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)	4,387.28 (66.08)
निवल पूंजीगत व्यय*	4	2,100.44 (37.51)	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)	2,252.47 (33.92)
संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	5	0	0	0	0	0
राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग	6 {2-(3+4+5)}	0				

\$ वस्तु व सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है।

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.25: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)



टिप्पणी: 2017-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं ऋण व अग्रिमों को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्तियों के किसी भी हिस्से का उपयोग नहीं किया गया था।

वर्ष 2017-22 के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2017-22 के दौरान पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी हेतु उधार ली गई निधियों का उपयोग 62 से 74 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय हेतु 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत था।

वर्ष 2021-22 के दौरान उधार ली गई निधियों के 66.08 प्रतिशत का उपयोग पिछले उधारों के लिए (मूलधन) तथा 33.92 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु किया गया।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति) - आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं होती हैं, जो उधारकर्ताओं, जिन्हें गारंटी दी गई थी, के बकाया होने की स्थिति में उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखों की विवरणी-9


एवं 20 के अनुसार विगत पांच वर्षों में राज्य द्वारा अधिकतम राशि हेतु दी गई गारंटियां तालिका 2.34 में दी गई है तथा 31 मार्च 2022 की समाप्ति तक राज्य सरकार से गारंटियां प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता/निकायों के विवरण चार्ट 2.26 में दिए गए हैं।

तालिका 2.34: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
गारंटियों की बकाया राशि	4,393.66	4,309.21	1,947.07	2,141.76	1,884.61
वर्ष के दौरान वृद्धि	146.27	74.28	639.70	418.03	289.46
वर्ष के दौरान विलोपन	303.03	158.72	3,001.84*	165.60	283.09
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्त का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	17	16	6	7	6

* इस वर्ष के वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कोम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के रूप में दर्शाई गई थी।



वर्ष 2021-22 के दौरान गारंटी की कोई राशि नहीं मांगी गई। 31 मार्च 2022 तक वित्त लेखाओं के अनुसार गारंटियों की बकाया राशि ₹ 1,884.61 करोड़ थी। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चालू लेखे नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों के अंतर का मिलान नहीं किया। 2021-22 के दौरान विभिन्न निकायों को राज्य सरकार की गारंटी पर ₹ 289.46 करोड़ की राशि प्रदान की गई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत (₹ 137.83 करोड़), सहकारिता बैंक (₹ 80.95 करोड़) एवं सांविधिक निगम एवं बोर्ड (₹ 40.07 करोड़) रहे। 2021-22 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹ 1,885 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का छः प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 एवं सरकार के दिशा-निर्देशानुसार (6 मार्च 1992) गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ता से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) एवं प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) उदग्रहित किया जाना है। राज्य सरकार को निकायों/इकाइयों से प्रप्ति योग्य गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों (2018-19 से) में राज्य सरकार ने गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की कोई राशि प्राप्त/उदग्रहित नहीं की। यद्यपि 2021-22 के दौरान ₹ 3.00 करोड़, ₹ 0.72 लाख (2019-20 में) एवं ₹ 2.16 करोड़ (2020-21 में) का गारंटी शुल्क एवं प्रतिबद्धता प्रभार राशि प्राप्त की गई।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2020 से 16 अप्रैल 2020 तक ₹ 715 करोड़ एवं 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ₹ 880 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देती है।

2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने 349 दिनों के लिए न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखा। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 16 मौकों पर कुल ₹ 1,043.49 करोड़ का साधारण/विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा, जिनका भुगतान वर्ष के दौरान कर दिया गया। वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष नहीं था। वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में ₹ 0.25 करोड़ राशि चुकाई गई। तालिका 2.35 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इसमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.35: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 तक अथ शेष	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	0	0	0
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	0	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	59.96	-45.41	-105.37
कुल	59.96	-45.41	-105.37
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	1,696.09	2,568.08	871.99
योग (क)	1,756.05	2,522.67	871.99

विवरण	1 अप्रैल 2021 तक अथ शेष	31 मार्च 2022 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	0
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम	0.03	0.03	0
निर्धारित निधियों का निवेश	0	0	0
योग (ख)	0.19	0.19	0
योग (क+ख)	1,756.24	2,522.86	766.62

वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष 2020-21 के ₹ 1,756.24 करोड़ से ₹ 766.62 करोड़ बढ़कर 2020-21 में ₹ 2,522.86 करोड़ हो गया। नकद शेष से किए गए निवेश में भी ₹ 1,696.09 करोड़ से ₹ 2,568.08 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

2017-18 से 2021-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका-2.36 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-2.36: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	759.43	723.72	(-) 35.71	81.13
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88
2021-22	1,696.09	2,568.08	871.99	55.50


स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2018-19 के दौरान निवेशों में उल्लेखनीय गिरावट हुई। तदोपरान्त 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निवेश में क्रमशः ₹ 879.97 करोड़, ₹ 714.03 करोड़ व ₹ 871.99 करोड़ की वृद्धि हुई।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष का होना राज्य सरकार द्वारा नकद का इष्टतम प्रबंधन न करने का परिचायक है, जिसने भारी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण लिया एवं उसका लाभकारी उपयोग नहीं किया गया।


चार्ट 2.27, 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम ब्याज दरों पर किए गए थे।

चार्ट 2.27: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष



चार्ट 2.28, 2021-22 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.28: 2021-22 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां



स्त्रोत: मासिक सिविल लेखे

वर्ष के दौरान राज्य सरकार को नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उनका सृजनात्मक उपयोग न करते हुए बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा। 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 1,875 करोड़ लिए जबकि तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में नकद शेष उपलब्ध था तथा इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

- 2017-22 (वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के दौरान वित्तायोग की संस्तुतियों पर केन्द्रित हस्तांतरण में वृद्धि के कारण राज्य में लगातार राजस्व अधिशेष हुआ। यद्यपि 2017-18 (₹ 920 करोड़) से 2019-20 (₹ 12 करोड़) में राजस्व अधिशेष में लगातार गिरावट हुई (वर्ष 2018-19 को छोड़कर) तथा 2020-21 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों का राजस्व अधिशेष ₹ 97 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया। तदोपरांत वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक यह पुनः ₹ 1,114.76 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 5,245 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत था जो 15वें वित्तायोग (चार प्रतिशत) एवं हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (तीन प्रतिशत या उससे कम) द्वारा निर्धारित के लक्ष्य के भीतर था। घाटे को मुख्यतः बाजारी उधारों से पूरा किया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधनों, जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल थे, से राजस्व प्राप्तियों का मात्र 33 प्रतिशत प्राप्त हुए जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों, जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश (20 प्रतिशत) एवं भारत सरकार के सहायता-अनुदान (47 प्रतिशत) शामिल थे, द्वारा दिए गए, जो वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय हस्तांतरणों एवं उधार ली गई निधियों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
- 2017-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 85.37 प्रतिशत (84.51 प्रतिशत से 86.40 प्रतिशत के मध्य) था। 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। 2017-22 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 64.19 प्रतिशत से 71.21 प्रतिशत था, जबकि यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 62.27 प्रतिशत से 70.39 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 6,029.38 करोड़) में विगत वर्ष 2020-21 (₹ 5,309.21 करोड़) की अपेक्षा ₹ 720.16 करोड़ (13.56 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह कुल व्यय का 14.15 प्रतिशत था।
- वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर समग्र राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की तुलना में 2.91 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 69,122.58 करोड़ (₹ 4,412.12 करोड़ को छोड़कर (बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में 2020-21: ₹ 1,717 करोड़ + 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़)

थीं। वर्ष 2021-22 में कुल राजकोषीय देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष (42.87 प्रतिशत) से 3.41 प्रतिशत कम होकर 39.46 प्रतिशत हो गया जो 15वें वित्तायोग (38.3 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक तथा बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (40.26 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से मामूली सा कम था। 2021-22 में सरकार के आंतरिक ऋण 2020-21 के ₹ 42,918 करोड़ से ₹ 1,458 करोड़ (3.4 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 44,376 करोड़ हो गए।

- वर्ष 2021-22 के दौरान 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारिताओं पर उसके कुल निवेश (₹ 4,913.00 करोड़) पर 3.39 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया तथा उसके उधारों पर 7.03 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। एक कंपनी (सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड) ने कुल प्रतिफल के 98 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की।
- विगत पांच वर्षों (मार्च 2022 तक) में विद्युत् परियोजनाओं एवं उद्योग व खनिज के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों की अदायगी नहीं की गई तथा इन्हें और अतिरिक्त ऋण दिए गए। वर्ष के दौरान समग्र बकाया शेष में वृद्धि हुई।
- 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार ने पांच आरक्षित निधियों का संचालन किया, जिसमें से दो सब्याज आरक्षित निधियां (₹ 1,657.90 करोड़ क्रेडिट) एवं तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां (₹ 316 करोड़ क्रेडिट) हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इनमें से कोई निधि निवेशित नहीं की।

2.9 सिफारिशें

- राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
- राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के तरीके खोजें ताकि विकास व्यय हेतु अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें;
- राज्य सरकार उधार लेने की उच्च लागत को देखते हुए लाभ अर्जित करने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के मार्ग खोजें;
- विभिन्न क्षेत्रों को अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों की वसूली करने में सरकार कमजोर रही अतः राज्य सरकार ऋणों व अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा लेखाओं में उनकी सही स्थिति दर्शाने के लिए उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करें;
- राज्य सरकार आगामी लागत-वृद्धि से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।